राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश का तकनीकी विश्वविद्यालय)
एयरपोर्ट रोड, गांधीनगर, भोपाल (म.प्र.)–४६२०३३
फोन : ०७५५–२६७८८५५, २६७८८२६
फैक्स : ०७५५–२६७८८३७
ईमेल : phd@rgtu.net
वेबसाईट : www.rgpv.ac.in

RAJIV GANDHI PROUDYOGIKI VISHWAVIDYALAYA
(State Technological University of Madhya Pradesh)
Airport Road, Gandhi Nagar, Bhopal (M.P.) - 462033
Phone: 0755 - 2678855, 2678829
Fax: 0755 - 2678837
Email: phd@rgtu.net
Website: www.rgpv.ac.in

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित जून – जुलाई, 2020 में आयोजित परीक्षाओं हेतु छात्र–छात्राओं के लिए कोविड – 19 के अंतर्गत दिशा निर्देश :–

01. छात्र – छात्राओं को परीक्षा फार्म भरने के साथ ही वर्तमान लोकेशन के अनुसार मध्यप्रदेश के अन्दर निर्धारित परीक्षा केन्द्र के चयन करने की सुविधा होगी । वर्तमान समय में प्रदेश से बाहर रह रहे छात्रों को भी मध्यप्रदेश में ही किसी निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर ही परीक्षा में सम्मिलित होना होगा ।

02. समस्त छात्र – छात्राओं को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/केन्द्र सरकार/मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोविड – 19 के संदर्भ में समय – समय पर जारी समस्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

03. छात्र – छात्राओं को परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित समय से 50 मिनिट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा ।

04. परीक्षार्थी द्वारा स्वयं के साथ प्रवेश पत्र, मास्क, सेनेटाइजर, पानी की बोतल तथा आवश्यक दवाईयॉ (यदि परीक्षार्थी पूर्व से उपयोग करता हो) ले जाना सुनिश्चित करें ।

05. छात्र परीक्षा केन्द्र तक यदि दो पहिया वाहन से आता है तो वाहन पर एक छात्र, कार से यदि आते है तो केवल 02 छात्र ही उपयोग कर सकते हैं । संस्था द्वारा बस का उपयोग कर परीक्षा केन्द्र आने वाले छात्रों की बस की बैठक क्षमता का 50 प्रतिशत ही उपयोग किये जाने की अनुमति रहेगी।

06. परीक्षा कक्ष में परीक्षा हेतु आवश्यक सामाग्री छात्र स्वयं अपने साथ लेकर जाएं तथा किसी अन्य छात्र से कोई भी सामग्री कोविड – 19 से बचाव के दृष्टिगत न लें ।.

07. परीक्षार्थी परीक्षा समाप्त होने के पूर्व एवं परीक्षा समाप्त होने के बाद एकत्रित न हो, यह सुनिश्चित करें । परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षार्थी को सीधे घर जाने हेतु निर्देशित करें ।

08. परीक्षा केन्द्र पर जांच के दौरान थर्मल स्क्रीनिंग परीक्षण में किसी प्रकार की असामान्यता पाये जाने पर या अन्य किसी प्रकार की शारीरिक परेशानी होने पर संबंधित परीक्षा केन्द्र पर छात्र की बैठक व्यवस्था प्रथक से की जावेगी एवं ऐसे छात्रों के लिये यह अनिवार्य होगा कि वे आगामी परीक्षा के पूर्व अधिकृत चिकित्सक से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर प्रमाण–पत्र परीक्षा केन्द्र पर प्रस्तुत करेंगे।

09. छात्र – छात्राओं को परीक्षा फार्म भरने के साथ ही वर्तमान लोकेशन के अनुसार मध्यप्रदेश के अन्दर निर्धारित परीक्षा केन्द्र के चयन करने की सुविधा दि. 08 जून 2020 तक ही होगी । अन्यथा उनका परीक्षा केन्द्र वह जिस महाविद्यालय में अध्ययन कर रहा है, वही रहेगा ।

माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित

परीक्षा नियंत्रक
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
भोपाल